फर्द अहकाम

रामप्रसाद बनाम राजस्थान सरकार

पत्र संख्या: 201/2024

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
[illegible]	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को पेश है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम वाटिका खाता संख्या 250 में खसरा नम्बर 5370/1 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5371 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर गोपीराम से जरिये उपहार पत्रों के (नामान्तकरण संख्या 2404 व 2442) रामप्रसाद पुत्र भूरा हिस्सा 2/259 श्रवणी पत्नी किशना हिस्सा 23/25 जाति जाट सा0 देह के नाम दर्ज हो गये थे, किन्तु वर्तमान जमाबंदी मे उपरोक्त दोनो खसरा नम्बर पुनः ही सहवन से गोपी के वारिस बद्रीनारायण, हरिनारायण के खाते में जुड गये थे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थन में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका तहसील सांगानेर मे स्थित पुराना खाता संख्या 248 एवं नया खाता संख्या 256 में स्थित खसरा नम्बर 5370/1 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5371 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर में वर्तमान खातेदार बद्रीनारायण पुत्र गोपी हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार एवं हरिनारायण पुत्र गोपी हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा श्री राम की नांगल जयपुर के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र भूरा हिस्सा 2/25 जाति जाट सा0देह खातेदार एवं श्रवणी पत्नी किशना जाट हिस्सा 23/25 जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:37:52 IST
Reason: SelfAttested